न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 23/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 मानमल दुग्गड पुत्र शक्तिमल दुग्गड जाति जैन ओसवाल निवासी माही दरवाजा नागौर।(फौत) फर्म–मैसर्स विमल एजेंसी, पुरानी धान मण्डी, नागौर। 2 डूंगरमल दुग्गड पुत्र शक्तिमल दुग्गड जाति जैन ओसवाल निवासी गुजरातियों की पोल, नागौर। फर्म:– फर्म–मैसर्स विमल एजेंसी, पुरानी धान मण्डी, नागौर। 3 राहुल श्रीवास्तव पुत्र अरूण कुमार श्रीवास्तव निवासी 117/क्यू/11 शारदा नगर, छपेडा बगिया, राधाकृष्ण हाउसिंग सोसाइटी, नवीन नगर, कानपुर (उतरप्रदेश)–208025 फर्म:–मैसर्स NIF Pvt. Ltd., Jaipur Shop No. 19, 20, 21 श्याम विहार, सब्जी मण्डी के सामने, रोड नं. 14 विश्वकर्मा जयपुर–302013 4 मैसर्स NIF Pvt. Ltd., Jaipur Shop No. 19, 20, 21 श्याम विहार, सब्जी मण्डी के सामने, रोड नं. 14 विश्वकर्मा जयपुर–302013 5 मनोज कुमार यादव पुत्र लालाप्रसाद यादव निवासी माहेवा वेस्ट, (इलाहाबाद एग्री कल्चर इन्स्टीट्यूट नैनी इलाहबाद उत्तरप्रदेश 211007) फर्म:– मैसर्स NIF Pvt. Ltd., Village-Baharmpur P.O. Shivrajpur, Tehsil -Bilhaur , District Kanpur Nagar (U.P.) 209205 6 मैसर्स NIF Pvt. Ltd., Village-Baharmpur P.O. Shivrajpur, Tehsil -Bilhaur , District Kanpur Nagar (U.P.) 209205

आदेश

दिनांक :12.10.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 25-07-2018 को मैसर्स मैसर्स विमल एजेंसी, पुरानी धान मण्डी, नागौर पर खाद्य पदार्थ घी में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1010 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/577/एक्ट/2018/596 दिनांक 09.08.2018 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ घी मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण मानमल दुग्गड पुत्र शक्तिमल दुग्गड जाति जैन ओसवाल निवासी माही दरवाजा नागौर(फौत), डूंगरमल दुग्गड पुत्र शक्तिमल दुग्गड जाति जैन ओसवाल निवासी गुजरातियों की पोल, नागौर, राहुल श्रीवास्तव पुत्र अरूण कुमार श्रीवास्तव निवासी 117/क्यू/11 शारदा नगर, छपेडा बगिया, राधाकृष्ण हाउसिंग सोसाइटी, नवीन नगर, कानपुर (उतरप्रदेश)–208025, मैसर्स NIF Pvt. Ltd., Jaipur Shop No. 19, 20, 21 श्याम विहार, सब्जी मण्डी के सामने, रोड नं. 14 विश्वकर्मा जयपुर–302013, मैसर्स NIF Pvt. Ltd., Jaipur Shop No. 19, 20, 21 श्याम विहार, सबजी मण्डी के सामने, रोड नं. 14 विश्वकर्मा जयपुर–302013, मनोज कुमार यादव पुत्र लालाप्रसाद यादव निवासी माहेवा वेस्ट, (इलाहाबाद एग्री कल्चर इन्स्टीट्यूट नैनी इलाहबाद उत्तरप्रदेश 211007) तथा मैसर्स NIF Pvt. Ltd., Village-Baharmpur P.O. Shivrajpur, Tehsil -Bilhaur , District Kanpur Nagar (U.P.) 209205 ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 03-05-19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 मानमल दुग्गड की मृत्यु हो जाने से उनको प्रकरण से स्ट्राइक आउट किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 व 05 की ओर से श्री यू.एस. शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 06 की ओर से दिनांक 12.03.2018 को श्री इरफान हुसैन अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 से 06 की ओर से दिनांक 26.12.19 को अपना जवाव पेश किया। वकील अप्रार्थी ने दिनांक 12.10.2022 एक प्रार्थना पत्र पेश कर लोक अदालत की भावना से पत्रावली को निर्णित करवाने का निवेदन किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/577/एक्ट/2018/596 दिनांक 09.08.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 02 डूंगरमल दुग्गड पुत्र शक्तिमल दुग्गड जाति जैन ओसवाल निवासी गुजरातियों की पोल, नागौर व अन्य पर रूपये 30,000/— अक्षरे तीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)